बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषय –**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग–I से X तक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु न्यूनतम 75% की उपस्थिति की अनिवार्यता को विलोपित करते हुए उपस्थिति की अनिवार्यता शिक्षा विभाग के विभागीय आदेश के अनुरूप करने के संबंध में।**

वित्तीय वर्ष 2012–13 में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–**पि०व० / छात्रवृत्ति–35–01 / 2012–53** दिनांक–**12.11.2012** द्वारा आदेश निर्गत किया गया था कि वर्ष 2012–13 में विद्यालय छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के उन्हीं छात्र / छात्राओं को भुगतान किया जायेगा, जिनकी दिनांक–01 अप्रैल, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 की अवधि के दौरान उपस्थिति कम–से–कम 75% होगी।

2– उक्त संकल्प द्वारा प्री मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति का वितरण शिक्षा विभाग के अधीन संचालित मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालक / बालिका साईकिल योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है।

3– शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बालिका पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालक / बालिका साईकिल योजना तथा अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता कायम करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2013–14 में छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु न्यूनतम 75% की उपस्थिति की अनिवार्यता को विलोपित करते हुए उपस्थिति की अनिवार्यता शिक्षा विभाग के विभागीय आदेश के अनुरूप करने पर विचार किया गया।

अतः राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग–I से X तक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु न्यूनतम 75% की उपस्थिति की अनिवार्यता को विलोपित करते हुए उपस्थिति की अनिवार्यता शिक्षा विभाग के विभागीय आदेश के अनुरूप होगी।

4– तद्नुसार इस संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–पि०व० / छात्रवृत्ति–35–01 / 2012–53 दिनांक–12.11.2012 की कंडिका–2 को विलोपित किया जाता है। उक्त संकल्प की शेष कंडिकायें यथावत लागू रहेगी।

5– इस संबंध में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों / जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/12/13

(डॉ० एन० विजयलक्ष्मी)
सरकार के सचिव।

P.T.O.

Sanlekh(Harry)

ज्ञापांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–01 / 2012– 2433 पटना–15, दिनांक– 10-12-13

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/12/13
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–01 / 2012– 2433 पटना–15, दिनांक– 10-12-13

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

9/12/13
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–01 / 2012– 2433 पटना–15, दिनांक– 10-12-13

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / प्रमण्डलीय आयुक्त / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपविकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, कल्याण / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी / सभी उपकोषागार पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/12/13
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–01 / 2012– 2433 पटना–15, दिनांक– 10-12-13

प्रतिलिपि– सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/12/13
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–01 / 2012– 2433 पटना–15, दिनांक– 10-12-13

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/12/13
सरकार के सचिव।